<u>निम्नलिखित अनुदेशों के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जाएगीः</u>

भाग – I के ऊपर "तकनीकी बोली" लिखा जाना चाहिए और उसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

(i) अनुबंध I – भाग I (तकनीकी बोली / आवेदन फार्म) निविदाकर्ता द्वारा विधिवत भरे गए और हस्ताक्षरित।

(ii) अनुबंध 2- बैंक का विवरण।

(iii) बयाना जमाराशि (ईएमडी) के रूप में आरबीआई,चेन्नै के पक्ष में आहरित ₹ 60,000/-(रुपये साठ हज़ार मात्र) का मांग ड्राफ्ट।

(iv) निविदा दस्तावेज़ में अपेक्षा किए / विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अन्य कोई दस्तावेज़।

(v) भाग II के ऊपर "मूल्य बोली" लिखा जाना चाहिए और इसमें निविदाकार के पत्रशीर्ष पर संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक III) में निविदाकार की उद्धृत दरों को शामिल किया जाना चाहिए, साथ ही इसके साथ इस आशय के दस्तावेज़ की वास्तविक प्रति होनी चाहिए कि तकनीकी वित्तीय बोली का हस्ताक्षरी निविदाकर्ता के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है। निविदाकर्ता का भाग II केवल तभी खोला जाएगा जब भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नै तकनीकी बोली (भाग I) से संतुष्ट है जो कि पहले खोला जाएगा।

(भाग I और भाग II के लिए अलग-अलग लिफाफों को एक अन्य सीलबंद लिफाफे में डाला जाए जिसके ऊपर **<u>"भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कैंटीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केटरिंग एजेंसियों से निविदा आमंत्रण</u>"** लिखा हो। इस लिफाफे को 21 अगस्त 2018 तक अपराह्न 3.00 बजे तक दूसरी मंजिल पर स्थित एचआरएमडी , भारतीय रिज़र्व बैंक, फोर्ट ग्लेसिस, 16, राजाजी साल्लै, चेन्नै-600 001 में भेजा जाए। टेलीग्राफ / फैक्स / ई-मेल से निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। निविदाकर्ता का पूरा नाम, डाक पता, ई-मेल पता और टेलीफ़ैक्स /टेलीफोन नंबर मुहरबंद लिफाफे के निचले बाएं कोने पर लिखा जाएगा।

(vi) निविदा में कुछ भी जोड़ना, बाद में लिखना या बदलने को तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि निविदाकर्ता के हस्ताक्षर से उसकी पुष्टि नहीं की जाती है। कथित दिनांक और समय

के बाद प्राप्त फॉर्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाओं की सभी प्रतियां सभी अनुलग्नकों,संलग्नकों और अनुबंधों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। निविदा के संबंध में सभी पत्राचार केवल ई-मेल के माध्यम से किया जाएगा।

अधूरे फार्म या उचित दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि (जैसाकि ऊपर वांछित है) के बिना निविदा फार्मों को बैंक द्वारा तुरंत ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

<u>निविदा प्रक्रिया:</u>

1. पहले चरण में, 21 अगस्त 2018 (मंगलवार) को अपराह्न 3.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे (भाग I तकनीकी बोली और भाग II कीमत बोली दोनों को शामिल करते हुए) और अगले दिन 22 अगस्त 2018 (बुधवार) को निविदा के प्राधिकृत अधिकारियों, यदि वे उपस्थित होना चाहे तो, के समक्ष तकनीकी बोली खोली जाएगी। यदि किसी निविदाकार ने एक या अधिक निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया है तो उसे निरस्त किया जाएगा।

2. तदुपरांत, तकनीकी बोलियों की जांच, साइट के दौरे आदि के आधार पर चुने गए और पात्र पाए गए केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोली (भाग II) खोलने की दिनांक पात्र वेंडरों को ई-मेल द्वारा सूचित की जाएगी।

3. भाग II (कीमत बोली) को, सूचित किए गए दिनांक (ई-मेल द्वारा) को भाग I पात्रता प्राप्त निविदाकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधियों , यदि वे उपस्थित होना चाहें तो, के समक्ष तकनीकी बोली खोली जाएगी।

4. कीमत बोली में कोट की गई वस्तुओं की श्रेणी वार औसत सीमा के आधार पर सभी बोलीकर्ताओं की रैंकिंग के बारे में निर्णय किया जाएगा। न्यूनतम कीमत बोली को प्रथम स्थान (एल1) दिया जाएगा। न्यूनतम बोलीकर्ता का चयन करने के लिए बैंक बाध्यकारी नहीं है। बैंक अधिकारी खाने और सेवाओं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए बोलीकर्ता की साइट का गुप्त दौरा भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए खाने की गुणवत्ता, गुणवत्ता और सेवाओं से संबंधित फीडबैक, और ऑफर की गई दरों सहित निविदाकर्ता की बाज़ार प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिति जैसे कारकों पर सफल बोली कर्ता का चयन करते समय विचार किया

जाएगा। इस संबंध में आरबीआई अधिकारियों का निर्णय अंतिम होगा और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। वित्तीय बोली को खोलने के एक सप्ताह के भीतर अंतिम सफल विक्रेता को सूचित / घोषित किया जाएगा।

5. सफल विक्रेता कार्य सौंपने के एक सप्ताह के भीतर स्टाम्प पेपर पर द्विभाषिक (हिंदी और अंग्रेज़ी) में करार निष्पादित करेंगे । यदि चयनित विक्रेता संविदा के सौंपने के बाद औपचारिक करार हस्ताक्षरित करने में असफल रहता है अथवा नियत तिथि, जिसे बाद में सूचित किया जाएगा, पर कार्य शुरु करने में असफल रहता है तो मांग पत्र को रद्द किया जाएगा और उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी को भी जब्त कर लिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx?Id=2982 क्लिक करें.